


53/B



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273401
CG-DL-E-12062026-273401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 09]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.नि.आ. 9(अ).— केन्द्रीय सरकार द्वारा, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 267 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रारूप नियमों को, उक्त अधिनियम की धारा 346 द्वारा अपेक्षित रूप से, प्रभावित होने वाली सभी जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियमों में शामिल प्रस्तावों पर कोई भी आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति, निर्धारित अवधि के भीतर, डाक द्वारा निदेशक (क्यू एवं सी), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली - 110011 को लिखित रूप में दे सकते हैं।

छावनी बोर्डों द्वारा सार्वजनिक बाजारों में दुकानों के आरक्षण संबंधी प्रारूप नियम, 2026

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छावनी बोर्डों द्वारा सार्वजनिक बाजारों में दुकानों के आरक्षण संबंधी नियम, 2026" है।

(ii) ये नियम छावनी बोर्डों द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक बाजारों की सभी दुकानों पर लागू होंगे।

(iii) ये नियम, राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "बोर्ड" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) के तहत गठित छावनी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "सार्वजनिक बाज़ार" से बोर्ड द्वारा संचालित कोई बाज़ार अभिप्रेत है;

(ग) "दुकान" से कोई भी परिसर जहाँ माल खुदरा या थोक में बेचा जाता है, या जहाँ ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, और इसमें कोई कार्यालय, स्टोर-रूम, गोदाम, मालगोदाम, कार्यशाला या कार्यस्थल शामिल है—चाहे वह उसी परिसर में हो या कहीं और—जिसका उपयोग ऐसे व्यापार या व्यवसाय के लिए या उसके संबंध में किया जाता है; लेकिन इसमें कोई कारखाना या वाणिज्यिक स्थापन शामिल नहीं है; और इन नियमों के प्रयोजन के लिए इसमें शेड, स्टॉल और बाड़ा भी शामिल हैं अभिप्रेत है; और

(घ) "उप-किरायेदारी" में किसी अन्य व्यक्ति को—आवंटी की ओर से या स्वतंत्र रूप से—कोई व्यवसाय चलाने की अनुमति देना शामिल है; चाहे ऐसा करने से आवंटी को कोई आर्थिक लाभ हो रहा हो या नहीं, और वह भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना।

3. दुकानों का आरक्षण- दुकानों का आरक्षण – (1) 25% दुकानें व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, अर्थात्:-

(i) युद्ध-विधवाएँ / ड्यूटी के दौरान मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ;

(ii) दिव्यांग सैनिक;

(iii) भूतपूर्व सैनिक;

(iv) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएँ।

(2) शेष 75 प्रतिशत दुकानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/दिव्यांगजनों (पीडबल्यूडी) के लिए आरक्षण, उनके प्रबंधन के अधीन दुकानों के आवंटन के लिए वर्तमान समीपवर्ती राज्य नगर पालिकाओं में निर्धारित अनुसार होगा।

4. आवंटन की रीति- (1) दुकानों का आवंटन छावनी बोर्ड द्वारा प्रत्येक श्रेणी के लिए (चाहे वह खुली हो या आरक्षित) पात्र बोलीदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अलग-अलग किया जाएगा। नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन सूचीबद्ध व्यक्तियों के वर्ग को एक ही श्रेणी माना जाएगा।

(2) यदि नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट विभिन्न उप-श्रेणियों से संबंधित दो या अधिक बोलीदाताओं से समान बोलियाँ प्राप्त होती हैं, तो उस बोलीदाता को वरीयता दी जाएगी जो क्रम संख्या (i) से (iv) पर उल्लिखित प्राथमिकता क्रम के अनुसार संबंधित उप-श्रेणी का हो।

(3) किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित जो दुकानें प्रारंभिक नीलामी के बाद भी आवंटित नहीं हो पाती हैं, उन्हें एक महीने की अवधि के भीतर नीलामी के लिए पुनः विज्ञापित किया जाएगा। यदि ऐसी पुनः नीलामी के बाद भी दुकान आवंटित नहीं हो पाती है, तो उसे बोर्ड की मंजूरी से खुली (अनारक्षित) श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

5. नियम और शर्तें- (1) बोली लगाने वालों के लिए पात्रता मानदंड, साथ ही दुकानों की नीलामी को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(2) किसी दुकान को उप-किराए पर देना, पट्टे पर देना, किसी और के माध्यम से चलाना या उसका हस्तांतरण करना—चाहे वह पूरी दुकान हो या उसका कोई भाग—अनुमत नहीं होगा; सिवाय उन असाधारण परिस्थितियों के जिनमें बोर्ड की पूर्व-

अनुमति प्राप्त हो, जैसे कि दुकान-आवंटी की मृत्यु या उसका स्थायी रूप से असक्षम हो जाना, अथवा चिकित्सा कारणों से, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

6. व्यावृत्ति - सभी विद्यमान आवंटन, उन नियमों और शर्तों के अधीन ही बने रहेंगे जिनके अधीन वे मूल रूप से किए गए थे, जब तक कि उनकी संबंधित अवधि समाप्त न हो जाए।

[फा. सं. 21(2)/2025- डी(क्यू एवं सी)]

डॉ प्रीति मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.R.O. 9(E)— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 267 read with clause (m) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) is hereby published, as required by section 346 of the said Act for information of all the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration by the Central Government on after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft rules may do so in writing within the period so specified through post to the Director (Q&C), Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi - 110 011.

Draft Reservation of Shops in Public Markets by Cantonment Board Rules, 2026

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the, Reservation of Shops in Public Markets by Cantonment Boards Rules, 2026.
 - (2) They shall apply to all shops in public markets managed by Cantonment Boards.
 - (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Board" means the Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
 - (b) "public market" means a market maintained by a Board;
 - (c) "shop" means any premises where goods are sold either by retail or wholesale or where services are rendered to customers, and includes an office, a store-room, go-down, warehouse or work house or work place, whether in the same premises or otherwise, used in or in connection with such trade or business but does not include a factory or a commercial establishment and also include shed, stall, pen for the purpose of these rules; and
 - (d) "subletting" includes permitting any other persons to run a business either on behalf of the allottees or independently, with or without any pecuniary benefit accruing to him/her without prior permission of the competent authority.
3. **Reservation of Shops.**—(1) 25% of the shops shall be reserved for the following class of persons namely:-
 - (i) War-widows/widows of defence personnel killed while on duty;
 - (ii) Disabled Soldiers;
 - (iii) Ex-Servicemen;
 - (iv) Widows of ex-servicemen.

(2) Out of the remaining 75% of shops, the reservation for SC/ST/OBC (Non-Creamy Layer)/Persons with Disabilities (PwDs) shall be as prescribed in the prevailing adjoining state municipalities for allotment of shops under their management.

4. **Manner of Allotment.**—(1) Allotment of shops will be carried by Cantonment Boards through competitive bidding between eligible bidders for each category separately either open or reserved. The class of persons listed under sub-rule (1) of rule 3 shall be treated as a single category.
- (2) In the event that identical bids are received from two or more bidders belonging to different sub-categories specified under sub-rule (1) of rule 3, preference shall be accorded to the bidder belonging to the sub-category in the order of priority as mentioned at serial numbers (i) to (iv).
- (3) Shops reserved for a specified category that remain un-allotted after the initial auction shall be re-advertised for auction within a period of one month. If the shop remains un-allotted even after such re-auction, it shall be transferred to the open (unreserved) category, with the approval of the Board.
5. **Terms and Conditions.** —(1) The eligibility criteria for bidders, along with the terms and conditions governing the auction of shops, shall be as specified by the Board from time to time.
- (2) Subletting, leasing, proxy operation or transfer of a shop, whether in whole or in part, shall not be permitted, except with the prior approval of the Board in exceptional circumstances such as the demise or permanent incapacitation of the allottee, or on medical grounds, as may be specified by the Board.
6. **Savings.**—All existing allotments shall continue to be governed by the terms and conditions under which they were originally made, until their respective expiry.

[F. No. 21(2)/2025-D(Q&C)]

Dr. PREETI MEENA, Jt. Secy.